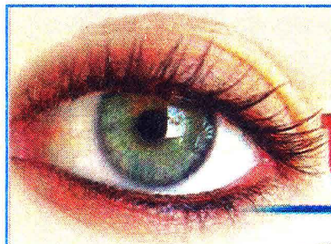

फोकस

अधिग्रहीत जमीन का किस मद में हुआ इस्तेमाल

- आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए : 36671 एकड़
- व्यावसायिक परिसर व शैक्षणिक संस्थान के लिए : 10640 एकड़
- झुग्गी व जेजे कॉलोनी के लिए : 6584 एकड़
- औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए : 4551 एकड़
- को-ऑपरेटिव सोसायटी के लिए : 5806 एकड़
- आजादी के बाद अब तक झुग्गी व जेजे कॉलोनी में रहने वाले 70 हजार परिवारों को ही पक्के मकान दिए गए है।

आखिर कैसे झुग्गी मुक्त होगी दिल्ली?

- 860 झुग्गी व जेजे कॉलोनियों में रह रहे हैं दिल्ली के 52 फीसदी लोग
- अब तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सकी है दो साल से तैयार की जा रही भूमि नीति

दिल्ली कैसे झुग्गी मुक्त होगी?

दशकों बाद भी यह अबूझ पहेली ही बनी हुई है। एक करोड़ 60 लाख से अधिक आबादी वाली दिल्ली में आज भी 52 फीसदी लोग 860 झुग्गी व जेजे कॉलोनियों में रह रहे हैं। दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने के दशकों से जो सरकारी प्रयास हो रहें हैं, वह कागजों पर ही होते दिखाई दे रहे है। हकीकत आज भी कोसों दूर है। झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की गंभीरता का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि स्लम व जेजे कॉलोनी में रहने वालों के लिए शहरी विकास मंत्रालय जो भूमि नीति (लैंड पॉलिसी) दो साल से तैयार कर रहा है, वह आज तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सकी है। दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने के लिए क्या किए जा रहे हैं प्रयास और क्या हैं बाधाएं, यही है हमारा इस बार का फोकस :

नहीं पूरा हुआ झुग्गी वालों को फ्लैट सौंपने का वादा

दिल्ली सरकार ने राजीव रत्न आवास योजना के तहत 60 हजार फ्लैटों को वर्ष 2009 तक झुग्गी झोपड़ी वालों को आवंटित करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। सरकार ने इसी योजना के तहत वर्ष 2012 तक चार लाख फ्लैट झुग्गी व जेजे कॉलोनी में रहने वालों को आवंटित करने का लक्ष्य रखा था। आलम यह है कि वर्ष 2007 से ही फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है मगर चार साल में सिर्फ 10 हजार के करीब फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं। ऐसे में चार लाख का आंकड़ा छूने में कितने दशक लगेंगे, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव वर्ष 2008 में कहा था कि सभी झुग्गी-झोपड़ी वालों को पक्के मकान अक्टूबर 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल से पहले दे दिए जाएंगे। खेल खत्म हुए 10 महीने बीत गए लेकिन उक्त घोषणा के मुताबिक एक भी फ्लैट झुग्गी वालों को आवंटित नहीं किए जा सके हैं। राजीव रत्न आवास योजना ही नहीं, बल्कि पहले भी ऐसी अन्य योजनाएं बनीं मगर कागजों में ही दफन हो गईं। झुग्गी वालों को सरकारी स्तर पर पहले भी मकान के सब्जबाग दिखाकर उनसे लाखों रुपये भी जमा करवा लिए गए। मगर वर्षों बीत जाने के बाद भी न तो मकान ही मिला और न ही पैसा।

लैंड पॉलिसी स्पष्ट न होने से उलझा मामला

मास्टर प्लान 2021 में साफ है कि झुग्गी व जेजे कॉलोनी में रहने वालों को नियोजित तरीके से शहर में बसाने के लिए भूमि आवंटित करने के बाद सरकार बुनियादी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सीवर, सड़क आदि उपलब्ध कराए। फ्लैटों का निर्माण से लेकर उसके आवंटन तक की प्रक्रिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत निजी कंपनी से करवा सकती है।

ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन लैंड पॉलिसी ही स्पष्ट न होने से मामला उलझा है। दिल्ली सरकार के स्लम व जेजे विभाग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर कुंदन लाल भी मानते हैं कि पुनर्वास प्रक्रिया जटिल होने से आजादी के बाद से लेकर अब तक दिल्ली के झुग्गी इलाके में रहने वाले सिर्फ 70 हजार परिवारों को ही पक्के मकान मिल पाए है।

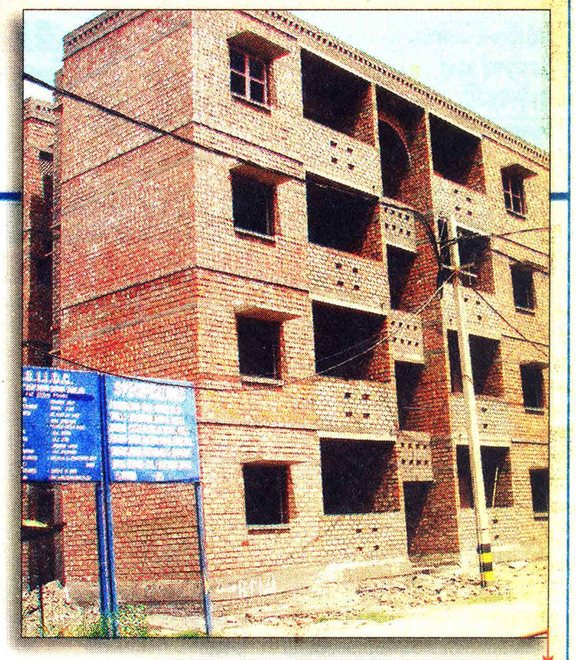

नई दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित राजीव गांधी आवासीय परिसर। जागरण

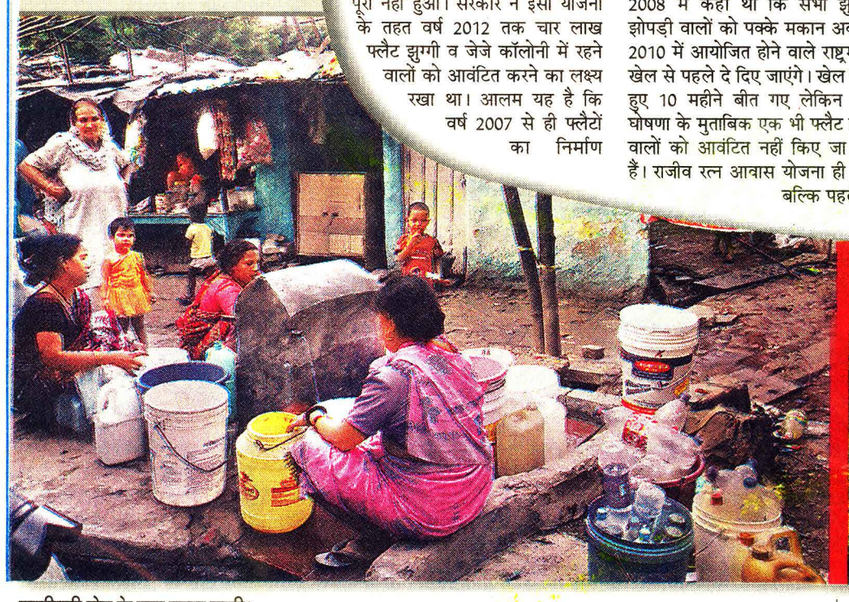

कालीबाड़ी लेन के पास स्लम बस्ती।

कठपुतली जेजे कालोनी।

झुग्गी वालों के बारे में कभी नहीं सोचा गया : गुप्ता

टाउन/सिटी प्लानर आरजी गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली में सरकार हो या अन्य एजेंसियां वर्ष 1958 से लेकर अब तक जितने भी जमीन अधिग्रहण हुए हैं, उनमें कभी भी झुग्गी व जेजे कॉलोनी में रहने वालों को बसाने के बारे में नहीं सोचा गया। डीडीए ने 83 हजार हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया तो इसका इस्तेमाल सामान्य वर्ग के लोगों की आवासीय समस्या को दूर करने के लिए फ्लैट तैयार करने से लेकर अन्य विकास कार्यों में ही हुआ। जब तक पॉलिसी स्पष्ट नहीं होती इनके पुनर्वास को योजना फाइलों में ही बनती रहेगी।

सोसायटी योजना भी विफल रही : सुनीता भारद्वाज

झुग्गी व जेजे कॉलोनी मामलों में काम करने वाली अधिवक्ता सुनीता भारद्वाज कहती हैं कि राजीव रत्न आवास योजना से पूर्व वर्ष 1990-91 में चलाए गए एक सरकारी अभियान के अंतर्गत झुग्गीवासियों को न्यू मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसायटी के जरिये पुनर्वासित करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत दिल्ली में इसी प्रकार की सैकड़ों सोसाइटियां बनीं। जिन लोगों ने सोसायटी पंजीकृत करवाई उन्होंने झुग्गी वालों को सदस्य बनाने के इरादे से उनके प्रति झुग्गी दो सौ रुपये के हिसाब से लिए, इनमें से प्रति सदस्य 135 रुपये शेयर मनी के रूप में राज्य सहकारी बैंक में जमा करवाए गए। लेकिन यह पैसा आज तक बैंक के सस्पेंस एकाउंट में ही पड़ा है।

-प्रस्तुति : आशुतोष झा
ashutoshjha@del.jagran.com

Number of colonies developed for Jhuggi dwellers are as under :-

Phase	No. of Resettlement colonies developed	Total Plots
I (Up to 1974)	18	52864
II (1975 to 1980)	16	148262
III (1981 to 1986)	9	14915
	43	**216041**

It is also correct that even then, 2/3 population of Delhi live in Sub-standard area's namely Jhuggi's, Urban Villages. Rural Villages, Unauthorized Colonies, Unauthorized Regularized Colonies, Census Towns, Slum Area's